इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी 2012—माघ 8, शक 1933


### वित्त विभाग

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्र. 36-2012-आनीविइ-चार.—यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ के खण्ड (1) तथा अनुच्छेद 243म के खण्ड (1) में उपबंध है कि राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन करेगा, और जो—

(क) (i) राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के बीच, जो संविधान के भाग 9 तथा 9क के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन को;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;

(iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;

(ख) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;

(ग) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राज्यपाल को सिफारिश करेगा;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ के खण्ड (1) तथा अनुच्छेद 243म के खण्ड (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के अनुसरण में, मैं, मध्यप्रदेश का राज्यपाल, एतद्द्वारा, डॉ. ढालसिंह बिसेन की अध्यक्षता में निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता हूं:—

(1) आयोग के अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको कि वे अपना पद ग्रहण करें, 31 जनवरी 2013 तक पद धारण करेंगे.

(2) आयोग, 1 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की कालावधि के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट प्रत्येक मामले पर और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में अपनी सिफारिशें राज्यपाल को 31 जनवरी 2013 तक प्रस्तुत करेगा.

भोपाल
तारीख 25 जनवरी 2012

**रामनरेश यादव**
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्र. 37-2012-आनीविइ-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना क्रमांक 36-2012-आनीविइ-चार, दिनांक 27 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अजय नाथ,** प्रमुख सचिव.

No. 36-2012-EPAU-IV.—WHEREAS clause (1) of article 243I and clause (1) of article 243Y of the Constitution of India provides that the Governor all State shall constitute Finance Commission to review the financial position of the Panchayats and Municipalities and to make recommendations to the Governor as to—

(a) The principle which should govern—

(i) the distribution between the States and the Panchayats and Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under part IX and IX-A of the Constitution and the allocation between the Panchayats and Municipalities at all levels of their respective shares of such proceeds;

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Panchayats and Municipalities;

(iii) the grants-in-aid to the Panchayats and Municipalities from the Consolidated Fund of the State;

(b) The measures needed to improve the financial position of the Panchyats and Municipalities;

(c) Any other matter referred to the Finance Commission by the Governor in the interests of sound finance of the Panchyats and Municipalities;

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (1) of article 243I and clause (1) of article 243Y of the Consitution of India and read with Section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), I, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, constitutes the State Finance Commission under the Chairmanship of Dr. Dhal Singh Bisen on the following terms and conditions:—

1. The Chairman of the Commission shall hold office from the date on which he assumes his office up to 31st January 2013.

2. The Commission shall submit its recommendations to the Governor by 31st January 2013 covering a period of five years commencing from 1st April 2011 on each of the matters referred to above and any other matter referred to by the Governor in the interest of sound finance of the Panchayats and Municipalities.

Bhopal
Dated the 25th January 2012.

RAMNARESH YADAV
Governor
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.